फर्द अहकाम
अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर
राजू बनाम सुरेन्द्र वगे0
किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र रिव्यू नम्बर 42/2025 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
29.8.2025	योग्य अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र समय सिंह जाति जाटव निवासी रसीलपुर तहसील व जिला भरतपुर ने एक प्रार्थना पत्र रिव्यू अंतर्गत आदेश 47 सपठित धारा 151 जा. दी. बाबत निर्णय दिनांक 16.4.2025 मुकदमा अपील नम्बर 23/2023 उनवानी राजू बनाम सुरेन्द्र कमलेश वगे0 पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपील अपीलान्ट राजू द्वारा नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.7.2023 स्वकृति दिनांक 11.7.2023 के विरूद्ध पेश की गई थी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.4.2025 को स्वीकार करते हुये विवादित नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया था। अपील निर्णय में राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 6.7.2023 पढने से रह गया है व प्रार्थना पत्र दफा 5, 96 का अवलोकन व निर्णय से रह गया है, इस लिए प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर रिव्यू अधीन आदेश दिनांक 16.4.2025 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलवी की गई एवं कार्यालय से मूल अपील पत्रावली नम्बर 23/2023 उनवानी राजू बनाम सुरेन्द्र कमलेश वगे0 निर्णय दिनांक 16.4.2025 तलब कर पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट राजू द्वारा एक अपील उनवानी राजू बनाम सुरेन्द्र कमलेश वगे. नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.7.2023, स्वीकृति दिनांक 11.7.2023 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई थी। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 759,619,670,672,674 की बाबत नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.7.2023 को हल्का पटवारी द्वारा भरा गया जो दिनांक 11.7.2023 को स्वीकार किया गया था। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि विवादित अराजी को लेकर विचाराधीन प्रकरण में एस.डी.ओ. भरतपुर ने दिनांक 2.3.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी की गई थी। एस.डी.ओ. भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 2.3.2022 के खिलाफ एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी	

....2

राजू v/s पुष्पेन्द्र वगै. रिव्यू 42/2025

---(2)

भरतपुर के यहाँ पेश की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 6.7.23 को एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश टी.आई. दिनांक 2.3.2022 को स्थगित कर दिया गया, इस प्रकार नामा0 दिनांक 10.7.23 व स्वीकृति दिनांक 11.7.23 को कोई भी स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश के खिलाफ अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी, राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.7.23 से आर.ए.ए. भरतपुर का आदेश निरस्त किया गया है। इसलिए नामान्तकरण संख्या 1579 दिनांक 10.7.23, 11.7.23 को कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। श्रीमान न्यायालय द्वारा अपील की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 6.7.23 का अवलोकन ही नहीं किया गया है, श्रीमान आर.ए.ए. भरतपुर के उक्त आदेश का अवलोकन परीक्षण करने से रह गया है, इसलिये प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किये जाने योग्य है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि नामान्तकरण संख्या 1579 में अपीलान्ट पक्षकार भी नहीं था उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। आदेश दिनांक 16.4.2024 पारित करते समय प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम एवं धारा 96 जा.दी. का निर्णय नहीं किया गया है तथा रिव्यू अधीन निर्णय प्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, प्रार्थी के खिलाफ एक्स पार्टी की गई है। प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जावे तथा अपील संख्या 23/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.4.2025 को निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि रिव्यू का सीमित क्षेत्र है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र समय सिंह अपील में रेस्पो. संख्या 5 दर्ज है पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट से कराई गई है। रेस्पो. सख्या 3 विजेन्द्र व 5 पुष्पेन्द्र नियत दिनांक 21.2.25 को उपस्थित नहीं आये, पत्रावली में वास्ते बहस आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.3.25 इसके बाद नियत तारीख पेशी दिनांक 2.4.25, व 4.4.25 को भी उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 4.4.25 को अपीलान्ट एवं रेस्पो संख्या 1 व 2 के वकील की बहस सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 16.4.25 नियत की गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अपील की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात एवं उपस्थित उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुये विधिवत आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार बिन्दू उठाये गये हैं वे रिव्यू के दायरे में नहीं आते हैं। रिव्यू में तो श्रीमान को ये देखना है प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियां या प्रस्तुत दस्तावेज मूल अपील में अवलोकन से रह तो नहीं गये है। प्रार्थी द्वारा अपील से बाहर जाकर रिव्यू में प्रस्तुत नई आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सकता है। प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

कलक्टर
भरतपुर

---3

राजू v/s सुरेन्द्र वगै.   रिव्यू 42/2025
(3)

हमने पत्रावलियों का गहन अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र रिव्यू का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कथन कि उसकी एक्स पार्टी में आदेश पारित किया गया है, न्यायालय द्वारा रिव्यू अधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम एवं धारा 96 जा.दी. अवलोकन करने/आदेश करने से रह गये हैं। स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि अपीलीय पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया कि रेस्पो0 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में अपनी कोई आपत्ति या कोई काउन्टर शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया गया है, अब रेस्पो. द्वारा रिव्यू के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र को चुनोती दी गई है जो स्वीकार योग्य नहीं रहती है क्योंकि रिव्यू का स्कोप सीमित है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क कि एक्स पार्टी में निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी को सैटसाईट कराने के लिये विधि में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये थी ना कि रिव्यू के माध्यम से ।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में यह कथन करना कि (राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपर का आदेश दिनांक 6.7.2023 जिसमें एस.डी.ओ. भरतपुर के टी.आई. आदेश दिनांक 2.3.2022 को स्थगित किया गया है) न्यायालय के पढने से रह गया है, प्रार्थी यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलीय प़त्रावली में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर आया कि रेस्पो. की ओर से मूल अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 6.7.2023 पेश ही नहीं किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थी को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 6.7.2023 की जानकारी पहले से ही थी तो तत्समय रेस्पो. को अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिये था। अब प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 6.7.2023 की फोटो प्रति पेश कर रिव्यू के माध्यम से रिव्यूआधीन आदेश को चुनौती दी गई है जो प्रार्थी की बाद की सोच के तहत की गई कार्यवाही है जो स्वीकार योग्य नहीं रहती है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं, उक्त आधार अपील के तो आधार हो सकते हैं किन्तु वे नजरानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड में यह न्यायालय नये साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई का निर्णय करने के पक्ष में नही है, रिव्यूआधीन आदेश, पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आरआरटी 2018 (2) पेज 1015 में प्रतिपादित किया है :–

...कलक्टर
...रतपुर

....4

राज्य V/s सुरेन्द्र को (4) रिव्यू 42/2025

"..........Rajasthan Tenancy Act, 1955 Sec.229- Review of the judgments Review cannot be accepted on the qrounds raised in the petition Rehearing of the case is not permissible in the garb of review Division Bench passed the judgment of merits after proper appreciation of the material available –Review cannot take place of an appeal –An erroneous judgment cannot be corrected under review jurisdiction-Held, Review petitions are devoid of merits & dismissed..."

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आरआरटी 2018 (2) पेज 1015 में निर्णय के बिन्दू संख्या 9 में यह भी उल्लेख किया है कि :–

"..........9–यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी यह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 व उनवान सुरेन्द्र कुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव ऑफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रेल 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है जो आर.आर.टी 2005(1)पेज 545 में उद्धरित है...... I."

तथा A.I.R 1991 N.O.C.49 (Andh.Pra.)(D.B.) में प्रतिपादित किया गया है।

"..........A review is permissible only in case of an error of law apparent on the face of the record or discovery of new and important evedence after exercise of due diligence which was not within his knowledge or could not be produced by the party when the decree was or the order was passed or for any other sufficient reason. It is not permissible to review the appellate judgment on the basis of materials known to the petitioners and there was no explanation why they were not produced at the appellate stage itself: A.I.R 1991 N.O.C.49 (Andh.Pra.)(D.B.)

इस प्रकार रिव्यू आधीन पारित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं पाई गई है।

अस्तु उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी नजरसानी (रिव्यू) खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर